वितीय दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम – आयोडिन डिफिसियेन्सि डिसऑडर प्रोग्राम
बजट/एफ0एम0आर0 शीष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – आयोडिन डिफिसियेन्सि डिसऑडर प्रोग्राम (IDD)
बजट क्रम संख्या/एफ0एफआर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) - PARD-D
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

खाद्य पदार्थ में आयोडिन की उपलब्धता बच्चे के पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिये अति महत्वपूर्ण है तथा आयोडिन की कमी से बच्चे में मंदबुद्धि, घेंघा तथा सामान्य शारीरिक वृद्धि में अवरोध जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है । गर्भावस्था के समय आयोडिन की कमी से गर्भपात जैसी समस्या हो सकती है या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है जो उसके कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है।

विश्व स्तर पर आयोडिन युक्त नमक का सेवन 1993 में प्रारंभ हुई तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि 66% घरों में आयोडिन युक्त नमक का सेवन किया जाता है । राष्ट्रीय आयोडिन नियंत्रण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य सभी उम्र एवं वर्ग के लोगों में आयोडिन की कमी से होनेवाली बीमारियों को दूर करना तथा सिर्फ आयोडिनयुक्त नमक के उपयोग हेतु समाज में जागरूकता लाना है। जिसके प्रतिशत में वृद्धि लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को आयोडिन न्यूनता बचाव दिवस मनाया जाता है ।

ग्लोबल आयोडिन दिवस का मुख्य उद्देश्य –

1. आयोडिन की कमी से होनेवाले दुरगामी दुष्परिणाम एवं दैनिक आयोडिन उपयोग के महत्व से अवगत कराना।
2. राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक घरों में आयोडिन नमक की आपूर्ति एवं समुदाय स्तर पर जागरूकता के लिए विभागों की भूमिका एवं उत्तरदायी को परिभाषित करके कार्ययोजना का निर्माण।
3. अन्य कार्यक्रम जैसे – आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को पूरक आहार, मध्यान भोजन, मातृ–शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा इत्यादि से जोड़कर कार्यक्रम को सफल बनाना।
4. राज्य के सभी नमक व्यापारियों को उनके कार्य एवं सामाजिक उतरदायित्व से अवगत कराना तथा निरंतर आयोडिनयुक्त नमक की आपूर्ति के लिए प्रेरित करना।
5. राज्य के शत–प्रतिशत घरो तक आयोडिन युक्त नमक का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके स्थायी निदान के लिए हर संभव संयुक्त प्रयास करना।

ईकाई राशि में –
जिलास्तरीय–

क्रम सं0	विवरणी	इकाई राशि (रूपये में)
1	ग्लोबल आयोडिन बचाव दिवस (21 अक्टूबर) मनाने हेतु	(प्रत्येक प्रा0 स्वा0केन्द्र) 500.00
2	कार्यक्रम से संबंधित जागरूकता सामग्री यथा पम्पलेट/पोस्टर मुद्रण एवं दिवाल लेखन हेतु	(प्रत्येक प्रा0 स्वा0केन्द्र) 500.00
3	जागरूकता, प्रचार–प्रसार एवं विद्यालयों में प्रतियोगिता आयोजित कराने हेतु	(प्रत्येक प्रा0 स्वा0केन्द्र) 300.00
4	आशा के द्वारा सॉल्ट टेस्टिंग किट (STK) के माध्यम से 50 नमक सैम्पल प्रति माह जाँच करने पर प्रोत्साहन राशि (सिर्फ चयनित 14 जिले यथा बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सहरसा, सारण, पूर्णिया, गोपालगंज एवं सीतामढ़ी के लिये यह राशि उपलब्ध करायी जा रही है।)	(प्रति आशा/माह) 25.00

Skumar

वितीय दिशा–निर्देशन – राज्य के सभी जिलों में उपरोक्त विवरणी के अनुरूप राष्ट्रीय आयोडिन की कमी की रोकथाम हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन जिला से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक किया जाना है। उक्त राशि के अंतर्गत निम्न क्रियाकलाप भी सम्मिलित है –

- आयोडिन नमक के उपयोग हेतु समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना तथा इसकी उचित निगरानी करना है
- आंगनबाड़ी सेविका एवं आशा का एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन कर उनकी क्षमता विकास एवं उन्मुखीकरण करना है। ताकि वे अपने समुदाय स्तर पर जन–जन तक कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे एवं सिर्फ आयोडिनयुक्त नमक का ही सेवन करने का परामर्श देंगे ।
- जिला स्तर पर अंतरविभागीय समन्वय स्थापित करना एवं जिला स्तर पर एक संयुक्त बैठक का आयोजन करना ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

क) **ख)** **ग)**

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का नाम – डॉ0 एन0 के0 मिश्रा

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का फोन नं0– 9470003022

S Kumar